भारतीय कानून की रिपोर्ट

सिविल विविध

मेहर सिंह से पहले सीएफ और शमशेर बहादुर

हरियाणा को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कैथल, -
याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और *अन्य, उत्तरदाता।*

1966 की सिविल रिट संख्या 1575।

26 मार्च, 1968

*औद्योगिक विवाद अधिनियम (*1947 का XIV) - धारा 7 *और* 9 - *भारत का संविधान* 0950) - *अनुच्छेद* 226 - श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त *धारा* 7 *के तहत योग्यता की कमी वाला व्यक्ति - ऐसी नियुक्ति की वैधता - क्या रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।* 9(1)—*क्या कोई ऐसी कार्यवाही पर रोक लगाता है।*

यह माना गया कि यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित आवश्यक योग्यता ओं की कमी वाले व्यक्ति को श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में नियुक्ति की दुर्बलता को इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ऐसे मामले को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत किसी भी तरह से प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 की पूर्ण शक्तियों के तहत *सर्टिओरी* और *क्वो वारंट* की शक्तियां उच्च न्यायालय को श्रम न्यायालय के ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करके राहत देने के लिए पर्याप्त अधिकार देती हैं।

[पैरा 13]

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह द्वारा 17 अक्टूबर, 1967 *को मामले* में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया था और अंततः 26 मई को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह *और माननीय न्यायमूर्ति श्री शमशेर बहादुर की खंडपीठ द्वारा इसका निर्णय लिया गया था।* 1968.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि श्रम न्यायालय, रोहताल द्वारा दिए गए 16 अप्रैल,* 1966 के फैसले को रद्द करते हुए *सर्टिओरी या* किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश *की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।*

एन.के. सोढ़ी, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

जी.सी. मित्तल, एडवोकेट, ईसीयू एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) और एल.के. सूद, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

डिवीजन बेंच का आदेश।

शमशेर बहादुर, जे.— 16 अप्रैल, 1966 को दूसरे प्रतिवादी श्री हंस राज गुप्ता द्वारा औद्योगिक विवाद में दिए गए निर्णय (अनुलग्नक 'ई') को हरियाणा को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कैथल के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रमाणात्मक कार्यवाही में कई आधारों पर चुनौती दी गई है, लेकिन एकमात्र गंभीर चुनौती श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की वैधता से संबंधित है। रोहतक।

(दो) सबसे पहले याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं 3 और 4, जो याचिकाकर्ता के क्रमशः कंडक्टर और ड्राइवर हैं, के बीच औद्योगिक विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 10 के तहत 22 जून 1964 को पंजाब राज्य की अधिसूचना द्वारा श्री ज्वाला दास के निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था, जिनकी सेवानिवृत्ति पर श्री हंस राज गुप्ता को 4 जून को नियुक्त किया गया था। 1965, संदर्भ के लंबित रहने के दौरान। दूसरा प्रतिवादी 14 जनवरी, 1947 से 19 अक्टूबर, 1954 तक सात साल से अधिक समय तक पेंशन अपील ट्रिब्यूनल, जुलुन-दुर छावनी के रजिस्ट्रार थे। रजिस्ट्रार के पद को त्यागने के बाद, उन्हें 17 फरवरी, 1957 तक अपर डिवीजन क्लर्क-कम-हेड क्लर्क के रूप में वापस कर दिया गया, जिस पद पर उन्होंने 17 फरवरी, 1957 तक काम किया और बाद में सहायक निपटान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वह सितंबर, 1962 तक रहे।

(तीन) की उपधारा (1)2 के तहत। (अधिनियम की धारा 7) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णयन के लिए एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन कर सकती है और उपधारा (3) में कहा गया है कि:-

"एक व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि

(अ) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; नहीं तो

(आ) वह, कम से कम तीन साल की अवधि के लिए, एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा है; नहीं तो

(इ) वह **औद्योगिक विवाद (अपीलकर्ता न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950 के तहत गठित श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण** के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए या किसी अधिकरण का पद धारण किया हो; या

(ई) उन्होंने कम से कम सात वर्षों के लिए भारत में किसी भी न्यायिक पद को संभाला है; नहीं तो

(उ) वह कम से कम पांच वर्षों के लिए किसी भी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत गठित श्रम न्यायालय के पहले पीठासीन अधिकारी रहे हैं।

(चार) माना कि दूसरा प्रतिवादी धारा 7 की उप-धारा (3) के खंड (ए), (बी), (सी) और (ई) के तहत योग्यता को पूरा नहीं करता है। उनकी ओर से दावा किया गया है कि वह खंड (डी) के तहत सात साल से अधिक समय तक न्यायिक पद धारण करने की योग्यता को पूरा करते हैं।

(पाँच) पहली बार में याचिका विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1967 के अपने आदेश से इसे एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया।

(छः)हरियाणा सरकार की ओर से पेश श्री मित्तल ने अब यह स्वीकार किया है कि दूसरे प्रतिवादी ने सात साल की अवधि के लिए न्यायिक पद नहीं संभाला था। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नहीं अपनाया गया था जब याचिका पर पहली बार सुनवाई हुई थी। स्पष्ट रूप से, पेंशन अपील ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार का कार्यालय प्रकृति में प्रशासनिक है, भले ही यह माना जा सकता है कि पेंशन अपील ट्रिब्यूनल एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। इसलिए, दूसरे प्रतिवादी के पास

श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने की मौलिक और आवश्यक योग्यता का अभाव था और इसलिए, उसकी नियुक्ति *शुरू से ही अमान्य थी।*

(सात) नियुक्ति के समर्थन में अब हमारे सामने केवल दो बिंदु उठाए गए हैं और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 और 4 के बीच औद्योगिक विवाद में उनके द्वारा दिए गए पुरस्कार को शामिल किया गया है। पहले उदाहरण में, यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे प्रतिवादी की नियुक्ति की वैधता के बारे में आपत्ति श्रम न्यायालय के समक्ष ही नहीं उठाई गई थी। जहां तक इस मामले का संबंध है, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जहां किसी प्राधिकारी, चाहे वह न्यायिक हो या अर्ध-न्यायिक, को कानून न आदेश देने का अधिकार नहीं है कि उस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए संबंधित तथ्यों को प्राधिकरण के समक्ष उठाने के लिए किसी पक्ष द्वारा चूक को अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। *अरुणाचलम पिल्लई* बनाम मैसर्स *सदर्न रोडवेज, लिमिटेड* मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। (1), जहां श्री न्यायमूर्ति इमाम ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि यद्यपिउस मामले में प्रतिवादी ने क्षेत्रीय के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत किया था।

(1) ए.आई.आर. I960 एस.सी. 1191.

परिवहन अधिकारी और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका में आपत्ति की थी कि उस अधिकारी के पास परमिट की शर्तों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को यह आग्रह करने की अनुमति देकर सही काम किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास परमिट की शर्तों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह रिट दायर होने के बाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा किया गया था। यह स्वीकार्य दृष्टिकोण बन गया। यह मामला बहुत निश्चित है क्योंकि नियुक्ति वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन थी और रिट याचिका में ही इस पर सवाल उठाया गया है।

(आठ) दूसरा आधार जिस पर श्री मित्तल द्वारा नियुक्ति और पुरस्कार का बचाव किया जाता है, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) पर आधारित है जिसमें कहा गया है:-

> "किसी व्यक्ति को बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त सरकार या केंद्र सरकार का कोई आदेश या न्यायालय के बारे में किसी भी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी भी तरीके से प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा; और किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्य या कार्यवाही को किसी भी तरह से केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसे बोर्ड या न्यायालय में कोई रिक्ति या दोष है।

(नौ) धारा 9 की उप-धारा (1) की बार, हालांकि, केवल सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। यह केवल सिविल न्यायालय हैं जिन्हें नियुक्ति की वैधता और श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही के बारे में विवादों पर विचार करने से रोका जाएगा। दो बेंच प्राधिकरण हैं जो मुद्दे के मुद्दे से सीधे निपटते हैं। *खुशी राम द्वारका नाथ बुनाई मिल्स, अमृतसर मुख्य* न्यायाधीश भंडारी द्वारा तय पंजाब राज्य (2) और दुलत, जे. अधिनियम की धारा 7 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के रूप में श्री अवतार नारायण गुजराल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में उनकी नियुक्ति के संबंध में की गई आपत्ति उच्च न्यायालय के साथ उपयुक्त सरकार के परामर्श की अनुपस्थिति पर आधारित थी। जैसा कि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) तब थी, ट्रिब्यूनल का सदस्य एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए (ए) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या जिला न्यायाधीश है या रहा है या (बी) अन्यथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है, और यह प्रावधान करता है कि "ट्रिब्यूनल में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जिसके तहत योग्य नहीं है।

(2) (1953-54) 5 एफ. जे. आर. 402.

भाग (ए) उस प्रांत के उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाया जाएगा जिसमें ट्रिब्यूनल के बैठने का सामान्य स्थान है या होने का इरादा

है। यह पता चला कि खंड (ख) के अंतर्गत श्री गुजराल की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से नहीं की गई थी। पीठ के समक्ष महाधिवक्ता श्री सीकरी (जैसा कि श्री न्यायमूर्ति सीकरी थे) द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान "जो किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के उचित सरकार के आदेश को प्रतिबंधित करता है, किसी भी तरह से विचाराधीन किया जा रहा है" का अर्थ है कि "नियुक्ति के आदेश की वैधता पर दीवानी मुकदमे में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन यह इस न्यायालय को इससे वंचित नहीं करता है। वर्तमान जैसी कार्यवाही में इसकी वैधता को ध्यान में रखते हुए। यह देखा जाएगा कि धारा 9 का प्रासंगिक प्रावधान वही था जो आज है, और महाधिवक्ता की रियायत पर पीठ का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर समान रूप से लागू होगा। इसी आशय का एक अन्य पीठ निर्णय मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड में मुख्य न्यायाधीश वांचू (बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश) और बापना, जे. के राजस्थान उच्च न्यायालय *का है।* बहुत। *औद्योगिक न्यायाधिकरण* (3)। उस मामले में भी अधिनियम की धारा 7 के तहत एक व्यक्ति की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना की गई थी। नियुक्ति को अमान्य पाया गया और अधिनियम की धारा 9 के प्रभाव पर चर्चा करते हुए मुख्य न्यायाधीश वांचू (बापना, जे, सहमत) द्वारा यह कहा गया कि: –

> "औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9, भले ही यह बहुत व्यापक रूप से कहा जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीन सकता है।

(दस) रिलायंस को रेक्स *वी* में प्रिवी काउंसिल के एक फैसले पर रखा गया था*नट बेल लिकर्स लिमिटेड* (4), जहां यह कहा गया है कि: –

> ". . . फिर से, फिर से किंग्स बेंच की अदालत ने कहा था कि इस तरह की भाषा अदालत के अधिकार को प्रतिबंधित या छीनती नहीं है कि वह अदालत को प्रमाणित करके कार्यवाही को अपने समक्ष लाए।

(ग्यारह) हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, साइमंड्स संस्करण, खंड II, पृष्ठ 137, पैरा 257 पर भी संदर्भ दिया जा सकता है।

(तीन) ए.आई.आर. 1951 राज। 161.

(चार) (1922) 2 ए.सी.

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स मामले *में उद्धृत खंड 9 के पैरा 1445 में हैलशम संस्करण में गद्यांश* है -

उन्होंने कहा, 'सर्टिओरी को केवल नकारात्मक शब्दों को व्यक्त करने के लिए हटाया जा सकता है. यह उन शब्दों से दूर नहीं किया जाता है जो यह निर्देश देते हैं कि कुछ मामलों को निचली अदालत में 'अंतिम रूप से निर्धारित' किया जाएगा, न ही इस शर्त से कि 'कोई अन्य न्यायालय कुछ मामलों के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा' कि निम्न न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है।

(बारह) जैसा कि मुख्य न्यायाधीश वांचू ने कहा:-

"सर्टिओरी *पर जो लागू होता है,* वह हमारी राय में, उन सभी रिट, आदेशों या निर्देशों पर लागू होता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस महत्वपूर्ण अंतर के साथ जारी किए जा सकते हैं। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और यह स्पष्ट शब्दों द्वारा सर्टिओरी आदि की रिट जारी करने के उच्च न्यायालय के अधिकार को छीन सकती है । भारत में, हालांकि, संविधान सर्वोच्च है, और न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार छीन सकते हैं। इस तरह के अधिकारों को केवल संविधान के संशोधन द्वारा कम किया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 368 में प्रदान किया गया है। इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9, भले ही इसे बहुत व्यापक रूप से कहा जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीन सकती है , और इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह नियुक्ति की वैधता पर विचार करे। औद्योगिक न्यायाधिकरण के रूप में।

(तेरह) पंजाब और राजस्थान उच्च न्यायालयों की पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ सम्मानजनक सहमति में होने के नाते, हमारी राय है कि दूसरे प्रतिवादी की नियुक्ति में कमी, जिसे वैधानिक प्रावधानों के संकुचन में माना गया है, को इस दलील पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के मामले को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत किसी भी तरह से प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 की शक्तियों के तहत *सर्टिओरी* और *यथास्थिति* वारंट की शक्तियां इस न्यायालय को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त अधिकार देती हैं जो इस न्यायालय में मांगी गई हैं।

(चौदह) तदनुसार, हम इस याचिका को स्वीकार करेंगे और दूसरे प्रतिवादी के फैसले को रद्द करेंगे, जिसकी नियुक्ति वैध रूप से नहीं की गई थी। इस पर विचार करना राज्य सरकार का काम होगा।

क्या विचाराधीन संदर्भ को श्रम न्यायालय को भेजा जाना चाहिए जिसका गठन अब किया गया है क्योंकि हम समझते हैं कि श्री हंस राज गुप्ता अब रोहतक में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नहीं हैं। इस मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के रूप में कोई आदेश नहीं देते हैं।

मेहर सिंह, सीजे-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

अससंध, कर्नल
हरियाणा